पत्र संख्या–स्था–2–विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/2022–23/ 1644 /राज्य कर।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 21/03/ 2023

// आदेश //

Auto Generated Notice Module को और अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से समस्त न्याय निर्णयन अधिकारियों को Balance Sheet, Profit and Loss Account विषय पर अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ (उ0प्र0) द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्नवत नामित किया जाता है:–

क0स0	तिथि	समय	प्रतिभागी अधिकारी
1.	24.03.2023 एवं 25.03.2023	पूर्वान्ह 10:30 से 01:30 तक	समस्त संयुक्त आयुक्त (कॉर्पोरेट) एवं समस्त उपायुक्त (न्याय निर्णयन अधिकारी)
2.	27.03.2023 एवं 28.03.2023	पूर्वान्ह 10:30 से 01:30 तक	समस्त सहायक आयुक्त (न्याय निर्णयन अधिकारी)
3.	31.03.2023 एवं 01.04.2023	पूर्वान्ह 10:30 से 01:30 तक	समस्त राज्य कर अधिकारी (न्याय निर्णयन अधिकारी)

समस्त संबंधित अधिकारी अपने लोकेशन से उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में मोबाईल, लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप जिसमें वेबकैम हो के माध्यम से कनेक्ट होगें। यदि किसी अधिकारी को कनेक्ट होने में कोई समस्या आती है तो जोनल अपर आयुक्त के कार्यालय से ऑनलाईन कनेक्ट हो सकते है।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।

नामित अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती/सम्बद्धता के स्थान से ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त करेगें प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगें।

- आधारभूत/व्यवसायिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा ।

ह0/–
(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

23/03/23
(श्याम प्रसाद)
संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।